

वन विभाग हरियाणा सरकार

कार्यालय :—वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर वन मण्डल, पिंजौर
वन परिसर पिंजौर, दूरभाष / फैक्स नं० 01733-230537

e-mail-dfomorni@gmail.com

क्रमांक:— १५०८

सेवा में:-

दिनांक:— १८/०५/२०२२

DLF Homes Panchkula Pvt Ltd.,
SCO 188-189, Sector 8 C,
Chandigarh-160009.

विषय:— Issuance of Forest NOC for land of 34.229 acres situated at village Bhagwanpur (H.B. no. 193) Tehsil Kalka, Distt. Panchkula to be developed by M/s DLF Homes Panchkula Pvt Ltd.

संदर्भ:— आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2022

संदर्भांकित पत्र के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि आपकी मलकीयत भूमि जोकि गांव भगवानपुर जिला पंचकूला में आपके प्रार्थना पत्र व संलग्न जमाबंदी में अंकित खसरा नम्बरान पर इस कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 व 5 लागू नहीं होती है।

इस भूमि पर पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 की सामान्य धारा 4 लागू होती है। उक्त भूमि में किसी भी प्रकार के कार्य को करने से पूर्व पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 की सामान्य धारा 4 के प्रावधानों के तहत इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त करें। उक्त क्षेत्र में सुखना वन्य प्राणी अभियारण का ईको-सैंसिटिव जोन भी प्रस्तावित है। जिसके सम्बन्ध में आप उक्त भूमि में किसी भी प्रकार के कार्य को करने से पूर्व ईको-सैंसिटिव जोन में लागू प्रावधानों के तहत अनुमति भी प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त वन राजिक अधिकारी, पिंजौर के पत्र क्र० 63 दिनांक 25.04.2022 के अनुसार आपकी मलकीयत भूमि के साथ बक्शीवाला सुरक्षित वन भूमि लगती है तो किसी भी प्रकार के कार्य को करने से पूर्व उक्त भूमि की निशानदेही करवाये

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी-पिंजौर वन मण्डल,
पिंजौर।

१८/०५/२०२२